

संजय दाशित

उत्तर प्रदेश



राज्य युवा नीति

2016

उत्तर प्रदेश

राज्य युवा नीति

2016

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	प्रस्तावना	1
2-	संक्षेप	2
3-	युवा युवावस्था	3
4-	विजन	3
5-	उद्देश्य	3
6-	राज्य सरकार, संसदीय निकायों के द्वारा और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा प्रारंभ	3 - 8
7-	संक्षेप	8
8-	प्रकार और कोष	8 - 11
9-	सामाजिक न्याय	11
10-	संक्षेप	11 - 13
11-	(क) सामाजिक न्याय का प्रस्तावना का	20 - 21
12-	(ख) सामाजिक न्याय	22 - 23
13-	सामाजिक न्याय	24
14-	सामाजिक न्याय के सुदृढीकरण के संस्थापन	24
15-	युवाओं की भागीदारी	25
16-	युवाओं की भागीदारी	26 - 27
17-	सामाजिक न्याय	28
18-	सामाजिक न्याय	29
19-	सामाजिक न्याय	30
20-	सामाजिक न्याय	31 - 35
21-	सामाजिक न्याय	37

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	प्रस्तावना	1
2-	मूलाधार	2
3-	“युवा” की परिभाषा	2
4-	विजन	3
5-	मिशन	3
6-	उद्देश्य, प्राथमिकता के क्षेत्र और भावी आवश्यकताओं के मुख्य बिन्दु	3 - 6
(1)	शिक्षा	7 - 9
(2)	रोजगार और कौशल	10 - 12
(3)	उद्यमशीलता व सामाजिक सम्प्रेक्षण	13
(4)	स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली	14 - 16
(5)	खेल	17 - 19
(6)	सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना	20 - 21
(7)	सामुदायिक विनियोजन	22 - 23
(8)	लोकतान्त्रिक व्यवस्था के सुदृढीकरण में सहयोग	24
(9)	युवाओं की भागीदारी	25
(10)	युवाओं का समावेशन	26 - 27
(11)	सामाजिक न्याय	28
7-	कार्यान्वयन प्रणाली	29
8-	मूल्यांकन एवं समीक्षा	30
9-	कार्य योजना	31 - 36
10-	परिवर्णी शब्द	37

'राज्य युवा नीति-2016'

उत्तर प्रदेश राज्य के युवाओं का कौशल विकास कर रोजगार हेतु दक्ष बनाने, गाँवों से शहरों की ओर पलायन रोकने, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबन्धन में युवाओं की सहभागिता बढ़ाने, उन्हें राष्ट्रीय मूल्यों का वाहक बनाने, उनमें एकता और सामाजिक सौहार्द की भावना बलवती करने तथा सामाजिक कुप्रथाओं के निर्मूलन हेतु जागरूकता उत्पन्न करने के निमित्त श्री राज्यपाल महोदय "उत्तर प्रदेश राज्य की युवा नीति-2016" को निम्नवत् प्रख्यापित किए जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- प्रस्तावना

- 1.1 राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाले एवं देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण अवसरों पर दिशा देने वाले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की वर्ष-2011 की जनगणना के अनुसार सकल जनसंख्या 19.98 करोड़ में 9.53 करोड़ महिलायें तथा 10.45 करोड़ पुरुष हैं। इस जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था को इतना समृद्ध किया जाए, कि बढ़े हुए मानव संसाधन को रोजगार मिल सके तथा अर्थव्यवस्था में उत्पादक योगदान करने के लिए युवाओं को समुचित शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता एवं अन्य सुविधायें प्राप्त हो सकें।
- 1.2 प्रदेश की जनसंख्या में 14 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं का प्रतिशत 38.87 है। राज्य के इस श्रेणी के नागरिकों की श्रमशक्ति में भागीदारी तथा उनकी उत्पादकता बढ़ाकर उनके योगदान में भारी बढ़ोत्तरी की बहुत सम्भावनायें हैं।
- 1.3 राज्य युवा नीति-2016 में राज्य के युवाओं के विषय में राज्य सरकार की दृष्टि को परिभाषित करने तथा उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास किया गया है, जिनमें युवा विकास को सम्भव बनाने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इस नीति का उद्देश्य मार्गदर्शक दस्तावेज की भूमिका निभाना है। इस नीति की 05 वर्षों में एक बार समीक्षा किए जाने की आवश्यकता होगी, ताकि राज्य सरकार युवाओं के विषय में अपनी प्राथमिकताओं में आवश्यकतानुसार बदलाव कर सके।

